MR. SPEAKER : Order, order. Shri Madhu Limaye.

12.44 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

Evidence of certain Iron and Steel Department Officials before Public Accounts Committee

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं निम्न प्रस्ताव सभा के सामने रखना चाहता हूँ :

> "That the question of privilege against Shri N. N. Wanchoo, former Secretary, Department of Iron and Steel, and Shri S. C. Mukerjee, then Deputy Iron and Steel Controller, for allegedly giving false evidence before the Public Accounts Committee, be referred to the Committee of Privileges."

आज मैं जो मसला उठा रहा हूँ वह बहुत असाधारण है। शायद हमारी पार्लियामेंट के इतिहास में इस किस्म का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर आवश्यक गम्भीरता से यह सभा विचार करेगी।

आज का मेरा प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ नहीं है बल्कि दो बड़े अफसरों के खिलाफ है जिन्होंने पार्लियामेंट के दो सदनों को तथा उनकी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को गुमराह किया।

कुछ अकाट्य सबूतों के आधार पर मैं उस समय के इस्पात सेक्रेटरी श्री वांचू और भूतपूर्व डिप्टी स्टील कंट्रोलर श्री एस० सी० मुखर्जी के खिलाफ इलजाम लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने झूठा और गुमराह करने वाला सबूत तैयार किया और इस पार्लियामेंट की सब से महत्वपूर्ण कमेटी के सामने पेश किया।

स्टील बार्टर और पूर्व-आयात सम्बन्धी मामलों में, जिसमें कुप्रसिद्ध धर्मीचन्द प्यारेलाल, राम कृष्ण कुलवन्त राय तथा उनसे सम्बन्धित फर्म जुड़ी हुई थीं, श्री वांचू ने, श्री मुखर्जी की हाजिरी में, झूठी शहादत दी।

पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की उप-समिति ने वित्त मन्त्रालय से पूछा था कि इस तरह के इस्पात के आयात के बारे में जो सुझाव इस्पात मन्त्रालय के द्वारा रखा गया था, उसके साथ अपनी सहमति उन्होंने किन शर्तों पर प्रकट की थी।

वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा था कि हमने दो शर्तें रखी थीं :

(1) निर्यात के बारे में निश्चित करार होना चाहिए तथा बैंकों से यह आश्वासन मिलना चाहिए कि इस निर्यात से जो विदेशी मुद्रा मिलेगी, वास्तव में भारत में भेजी जायेगी ; और

(2) ये फर्म पंद्रह प्रतिशत बैंकों को गारंटी देगी।

"निर्यात सम्बन्धी निश्चित करार" का मतलब उन्होंने बताया कि "विदेशी खरीदने वाले के साथ करार" से था।

इस जानकारी के आधार पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने श्री वांचू से गवाही ली जो उन दिनों में इस्पात सचिव थे। कमेटी ने पूछा कि क्या उपरोक्त शर्तों को स्टील कंट्रोलर ने ठीक तरह समझ लिया था। श्री वांचू ने जो कहा, वह मैं संक्षेप में जैसा आपने कहा, पढ़ रहा हूँ :

> The instructions of the Ministry left some room for different interpretations. I feel the instructions of the Ministry were not as clear as they ought to have been on this particular point, *viz.*, what was intended. The Sub-Committee enquired if there was any misunderstanding on this point between the Economic Affairs Department and the Ministry of Iron and Steel. The Secretary, Ministry of Iron and Steel stated, "I would not say that. The Ministry of Iron and Steel do not seem to have translated the instructions of the Economic Affairs Department in clear and unambiguous terms."

इसी शहादत की वजह से पी० ए० सी० गलतफहमी में पड़ी और उसने निम्न प्रकार अपनी पचासवीं रिपोर्ट के 62 पृष्ठ पर अपनी राय व्यक्त की :

"The Sub-Committee regret to observe that these views of the Ministry of Finance were not communicated in clear and unambiguous terms by the Department of Iron and Steel. The Sub-Committee cannot but deprecate in strongest words this failure on the part of the Iron and Steel Ministry."

अब मेरा यह कहना है कि श्री वांचू के द्वारा संदिग्धता तथा दो भाष्यों की गुंजाइश और वित्त मंत्रालय की सूचनाओं को ठीक तरह से स्टील कंट्रोलर को न बताया जाना आदि जो बातें कही गईं वे एक विशुद्ध मनगढ़न्त कहानी है। इस ब्यान के लिए उनके पास कोई आधार नहीं था। सब से अहम बात तो यह है कि श्री वांचू को पता था कि इस तरह शहादत देने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी श्री वांचू ने एस० सी० मुखर्जी और वित्त, इस्पात और गृह मंत्रालय के अफसर तथा भारत के अतिरिक्त आडिटर जनरल की उपस्थिति में जान बूझ कर झूठी गवाही दी, सत्य को छिपाया और पार्लियामेंट को गुमराह किया।

इस विषय में इस्पात मंत्रालय तथा स्टील कंट्रोलर के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ उससे यह स्पष्ट हो जाता है। मैं सब से पहले श्री एस० सी० मुखर्जी के द्वारा इस्पात मंत्रालय के उप सचिव को दस मार्च 1960 को लिखे गये पत्र को पढ़ना चाहता हूं :

"The other day I spoke to you about Ministry's letter No. SC(C)-5(5)/60 of 2nd February, 1960 laying down the procedure for barter deals. In paragraph 2(b) of this letter it is mentioned that import licence against barter deals should be issued before the export is made only in cases where a firm contract for export' exists. We are not quite clear as to what firm contract for export the Ministry has in view in this context ; in other words, whether the Ministry desires that the exporter should have a firm contract with the supplier of the exportable material in India, *e.g.* Hindustan Steel Ltd., Kalinga Industries Ltd., etc. or whether a firm contract for export should exist with the foreign buyer of the exportable materials and only a letter of credit would be lacking. You promised to look into the relevant file and to give me a ring. As I have not received any communication from you so far and as a number of parties are pressing us for issue of import licences prior to export by submitting 15 per cent bank guarantee, I would request you to send me a telegram as soon as you get this letter."

यह खत मिलने के बाद श्री रामनाथ ने श्री डी० एस० राम की हिदायत पर इकानोमिक एफेयर्ज विभाग के श्री वाई० टी० शाह से बातचीत की। इस बातचीत के बाद, और उस समय के इस्पात सचिव, श्री बूथलिंगम, की सम्मति से, उन्होंने श्री एस० सी० मुकर्जी को निम्न प्रकार जवाब दिया :

"Please refer to your letter No. C/3/59, dated the 10th March, 1960. I have consulted the Economic Affairs Department. Government's intention is that at the time you allow import on a bank guarantee, you should have satisfactory evidence that the exporter in India has a definite commitment from a foreign party to purchase the tonnage proposed to be exported. We would leave the form of evidence to you."

इन पत्रों से स्पष्ट दिखाई देता है कि वित्त मंत्रालय की शर्तों के बारे में स्वयं श्री मुकर्जी ने स्पष्टीकरण चाहा था और वह इसलिए कि अमींचन्द प्यारेलाल जैसी बदनाम फर्में उनके ऊपर पुरजोर ढंग से दबाव डाल रही थीं।

स्वयं स्पष्टीकरण मांगने तथा उसको प्राप्त करने के पश्चात् स्टील कंट्रोलर ने वित्त मंत्रालय की शर्तों को ठुकराया, जिनको वास्तव में इस्पात मंत्रालय ने ठीक ढंग से स्टील कंट्रोलर को बता दिया था।

सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने गवाही देते समय उन्होंने, सरकारी फाइलों पर जो सबूत था, उसको दबाया और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को, स्टील कंट्रोलर को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए प्रेरित किया।

[श्री मधु लिमये]

इसके मुताल्लिक मैं ताजीराते-हिन्द की दो दफाओं की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं, जिन में झूठी शहादत देने, झूठे सुबूत तैयार करने आदि की चर्चा की गई है। इंडियन पीनल कोड के तहत इन जुर्मों के लिए सात साल तक की सजा दी जा सकती है।

अब यहां पर फैसले हो चुके हैं कि इस पार्लियामेंट को अदालतों का दर्जा प्राप्त है। श्री कौल और श्री शकधर ने अपनी संसदीय प्रणाली सम्बन्धी किताब के पृष्ठ 201 पर लिखा है :

> "Prevaricating, giving false evidence, or wilfully suppressing truth or persistently misleading a Committee is a breach of privilege and constitutes a contempt of Parliament."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय कमेटी के सामने झूठी गवाही देना किसी न्यायालय के सामने झूठी गवाही देने से कम गम्भीर अपराध नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा कि सरसरी तौर पर देखने से ही प्रतीत होता है कि श्री बांधू और मुकर्जी ने गम्भीर अपराध किया है।

हमारी संसदीय प्रणाली में सभी मन्त्रालयों की गलतियों के लिये, और उनकी असफलता के लिये, कम से कम संसदीय दृष्टि से, मन्त्रियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और इनकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ती है, इस्तीफ़ा देकर या बरखास्त होकर।

लेकिन इस मामले में मन्त्रियों की जिम्मेदारी का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इस मामले में गवाही दी गई भूतपूर्व इस्पात सचिव के द्वारा। इस्पात मंत्री को इस सबूत से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए कमेटियों के सामने आम तौर पर मन्त्रियों को नहीं बुलाया जाता। अब तक नौकरशाही तथा भ्रष्ट व्यापार का यह गठबन्धन और उसकी शक्ति पार्लियामेंट के नियंत्रण से बाहर रही है। पहली दफा ये लोग पकड़ में आये हैं। ये सारे जो गलत काम अफ़सरों के द्वारा किये गये हैं, ये भ्रष्ट व्यापारियों के दबाव और घूसखोरी के कारण किये गये हैं।

मुझे उम्मीद है कि यह मामला प्रिविलेजिज़ कमेटी के सामने जांच तथा रपट के लिए भेजा जायेगा और यह कमेटी इस मामले की शीघ्र जांच करेगी। मेरी पक्की राय है कि जिन्होंने पार्लियामेंट की एक स्टेटुटरी कमेटी के सामने झूठी गवाही दी है, उनके प्रति कोई दया या रियायत नहीं बरती जानी चाहिए।

अन्त में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं इस बारे में तुरन्त इस सदन में फैसला नहीं चाहता हूँ। मैं सारे मामले को प्रिविलेजिज़ कमेटी के पास भेजना चाहता हूँ।

SHRI M. R. MASANI (Rajkot) : Sir, before the Minister replies, would you permit me to say a few words about the procedure which is proposed to be followed here ? I sympathise with the hon. Member who raised this point. I appreciate his concern that parliamentary committees should get honest evidence. But the procedure sought to be followed appears to hold out a danger for the very system of parliamentary accountability which the hon. Member has at heart. If officials are to feel, whether or not the Committee in question finds them guilty of having misled them, that what they say can be placed before Parliament and referred to the Committee of Privileges, I do feel that in future we shall not get the frank and candid information and expression of views that these Committees have got so far.....(*Interruption*). Many times mistakes are admitted very frankly. Officials say : "We have made a mistake ; we promise not to do it again." That is not the kind of admission you will get if every remark made by them is open to this kind of a thing.

In this particular case, the old Committee, before this Committee took over, adjourned the proceedings.....(*Interruption*).

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Are we discussing it ?

श्री रवि राय (पुरी) : तो इस पर पूरी बहस हो जाये । अध्यक्ष महोदय, आप इस पर पूरी बहस के लिए इजाजत दीजिए ।

MR. SPEAKER ; As Chairman of the PAC I have permitted him.

SHRI M. R. MASANI : The old Committee adjourned this matter in 1966 until the Sarkar Committee made its report. That report has been made. Only in the last few days action-taken notes have been received from the Ministry. Now the Committee, at present in existence, will report on this matter in an 'Action taken' Report by the 30th of April. It is at that time that this motion would be in order in the light of that Report. I would, therefore, suggest that the correct procedure would be, when the PAC is seized of the matter, to let it make its report before the end of its term on 30th April. At that time we will also consider what Shri Limaye has said in his statement and if it is found to be true we ourselves will report about it.

SHRI S. M. BANERJEE : Let it go to the Privileges Committee. It has nothing to do with the 'Action taken' report. I also am a Member of the PAC.

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA) : Sir, Shri N. N. Wanchoo, ICS. former Steel Secretary, appears to have committed certain errors in furnishing information to the Public Accounts Committee about certain matters of 1960, five or six years later. It has, however, to be pointed out that Shri Wanchoo took an early opportunity to bring the error to the notice of the PAC when the first action report on the recommendations of the PAC was sent to that Committee. During the investigation by the Committee of Enquiry on Steel Transactions headed by Shri A. K. Sarkar, Shri Wanchoo referred again to the errors and made no attempt to conceal them. The Sarkar Committee did not draw any adverse inference against Shri Wanchoo. One of the members of the Committe, however, in his dissenting note expressed the view that Shri Wanchoo had been misled by Shri Mukherji but even that dissenting member did not make any observation against Shri Wanchoo.

I refer to these facts to give the House a rough idea of the circumstances of the case. Adverse observation having been made by a dissenting member of the Sarkar Committee against Shri Mukherji and the matter raised being one of privilege, it is in the interest of all concerned that possible doubts about Shri Mukherji's conduct should be looked into by the Privileges Committee. The case of Shri Wanchoo does not contain even this element of doubt but since his case is closely interlinked with that of Shri Mukherjee, Government would have no objection to the cases against both of them being referred to the Committee of Privileges.

MR. SPEAKER : Since it is accepted by Government also, I shall put the motion to the vote of the House. The question is :

> "That the question of privilege against Shri N. N. Wanchoo, former Secretary, Department of Iron and Steel, and Shri S. C. Mukherjee, then Deputy Iron and Steel Controller, for allegedly giving false evidence before the Public Accounts Committee, be referred to the Committee of Privileges."

The motion was adopted.

12.59 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Statement of action taken on recommendations contained in the report of the Committee on Broadcasting and Information Media on 'Radio and Television'

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI D. ERING) : On behalf pf Shri Gujral, I beg to lay on the Table a statement of action taken on the recommendations contained in the report of the Committee on Broadcasting and Information Media on 'Radio and Televi-